CNR No.– UPME010068182026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ

पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार – I, (एच०जे०एस०) J.O. Code UP–6395

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं०– 2255/2026

तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–61/2026

गिरीश कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री चन्द्रपाल शर्मा, निवासी 1/97, सरोज नगर, पोस्ट देवी का नंगला थाना महुआ खेड़ा, जनपद अलीगढ़। **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **..... अभियोजन पक्ष**

मु०अ०सं०–364/2020
अन्तर्गत धारा–420, 467, 468, 471, 120B भा०दं०सं० व 7 भ्र०नि० अधिनियम,1988 यथा संशोधित 2018
थाना–खैर, जनपद अलीगढ़।

दिनांक– 19.06.2026

1. प्रस्तुत तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त गिरीश कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री चन्द्रपाल शर्मा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मु०अ०सं०– 364/2020 अन्तर्गत धारा– 420, 467, 468, 471, 120B भा०दं०सं० व 7 भ्र०नि० अधिनियम,1988 यथा संशोधित 2018, थाना– खैर, जनपद अलीगढ़ के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियोजन मामला इस प्रकार है कि उ०प्र० शासन सतर्कता अनुभाग 4 के गोपनीय अर्द्धशा0 571/39–4–17–50 पी (3)/15 दिनांक 16 नवम्बर 2017 के दवारा पंकज पवार तत्का० अध्यापक प्राइमरी पाठशाला कानी घसेरी फतेहपुर सीकरी आगरा एवं श्रीमती रजनी पवार पत्नी पंकज पवार तत्का० सहायक अध्यापक प्रा० फतेहपुर सीकरी आगरा हाल निवासीगण मौ० सिकरबार कस्बा खैर जनपद अलीगढ़ के विरूद्व खुली जांच के आदेश किये गये ये खुली जांच निरीक्षक पतीराम आदित्य द्वारा सम्पादित की गई। जांच पूर्ण होने पर पुलिस अधीक्षक (मु०) उ०प्र० सर्तकता अधिठान लखनऊ के गोपनीय अ० शा०पत्राक स०अ० / अनु0–2–190/2017 दिनाक 19.02.2020 के द्वारा प्रेशित की गयी जिसमें की गई संस्तुति के उपरान्त उ०प्र०शासन सतर्कता अनुभाग–4 के गोपनीय अर्द्ध शासकीय पत्राक 378 (1)/39–4–2020–50 पी (3) 2015 दिनाक 05.06.2020 के द्वारा पंकज पवार तत्का० अध्यापक प्राइमरी पाठशाला पानी घमेरी फतेहपुर सीकरी आगरा एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पजीकृत कराये जाने के आदेश दिये गये है । खुली जांच के मध्य पाया गया कि श्रीमती रजनी पवांर पुत्री श्री सोधन सिंह ग्राम पंचायत रथउ मुस्तकिल विकास खन्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद के परिवार रजिस्टर में जाति ठाकुर अकित है जिसकी प्रमाणित प्रति खण्ड विकास अधिकारी टूण्डला द्वारा प्राप्त कराई गई पंकज पवांर के सगे चाचा सुरजीत सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह निवासी मो० सिकरवार कस्बा खैर अलीगढ की पी०सी० प्रधानाचार्य ओ०पी० एम० इन्टर कालेज घेर द्वारा उपलब्ध 1 कराई गई जिसमें उनकी जाति ठाकुर प्रमाणित हुई। पंकज पवार की मां श्रीमती

विमलेश पत्नी स्व० राधेलाल निवासी मौ० सिकाया कस्बा खैर के राशन कार्ड सख्या 114310169757 वर्ष 2015 जो डीएसओ अलीगढ़ द्वारा निर्गत किया गया है उससे भी पंकज पंवार की जाति सामान्य प्रमाणित हुई है। तहसीलदार खैर के पत्र सं0 1382/ रा० लि० दिनाक 15.02.2019 से स्पष्ट है कि पंकज अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र संख्या – 12108400359 जो 03.12.008 को निर्गत हुआ था, को तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.12.2008 को निरस्त किया गया है। जिलाधिकारी अलीगढ द्वारा अपर जिलाधिकारी एवं राजस्व एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी या उपजिलाधिकारी खैर अलीगढ़ की गठित कमेटी द्वारा त्यो एवं गवाहो का परीक्षण पंकज पवार की जाति अनुसूचित जाति का होना नहीं पाया गया है। उपनिबन्धन द्वारा प्रमाणित किये गये विलेख स 0–123/06 से स्पष्ट है कि पंकज पवार अनुसूचित जाति के सदस्य नही है। इसी प्रकार पंकज पवार के पिता स्व० श्री राधेलाल पुत्र दुर्गापाली जन्म तिथि 01–07–1946 छात्र रजिस्टर न० 688 (पा० पा० खैर प्राचीन जनपद अलीगढ़) मे जाति ठाकुर व्यवसाय दस्तकारी अकित है इस BAS0811 प्रकार अअभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के विश्लेषण से यह पाया गया कि, पंकज पंवार व उनकी पत्नी श्रीमती रजनी पवार की जाति सामान्य है न कि अनुसूचित जाति । पंकज पवार व उनकी पत्नी श्रीमती रजनी पवार द्वारा अनुसूचित जाति अगरिया का जाति प्रमाण पत्र बनवकर अनुसूचित जाति के कोटे में जनपद आगरा में सहायक अध्यापक का पद प्राप्त कर त्याग पत्र दिया है। उपरोक्त के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. प्रस्तुत तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अभियोग में मु0 अ 0 सं0 364 सन 2020 के सन्दर्भ में तीन आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये है पहला अभियोग संख्या 394 सन 2024 इमरान व योगेन्द्र मित्तल के विरूद्ध, दूसरा अभियोग संख्या 596 सन 2024 प्रार्थी/अभियुक्त गिरीश कुमार शर्मा के विरूद्ध व तीसरा अभियोग संख्या 961 सन 2024 पंकज पंवार व उनकी पत्नी रजनी पंवार के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये है। इन आरोप पत्र के अनुसार मुख्य अभियुक्त पंकज पंवार व उनकी पत्नी रजनी पंवार दो ही मुख्य लाभार्थी बताया गया है। उन पर अपनी जाति/कास्ट छुपाकर स्वंय को अनुसूचित जाति (अगरिया) का बताकर झूठा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व उसका प्रयोग कर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पद् प्राप्त करने का आरोप है। जबकि प्रार्थी /अभियुक्त व शेष अभियुक्तगण पर उनके इस अनुचित व अविधिक कार्य मे विभिन्न प्रकार से सक्रिय सहयोग करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 09.04.2024 के आदेश से आरोप पत्र प्रेषित होने तक अग्रिम जमानत प्रदान की थी। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय से जमानतीय वारण्ट जारी किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही राजेश चौधरी पुत्र रूमाल सिंह निवासी मौहल्ला त्रिवेणी नगर, कस्बा खैर, थाना व तहसील खैर जनपद अलीगढ द्वारा पंकज पंवार व उनकी पत्नी रजनी पंवार की जाति पर सवाल उठाने से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में पंकज पंवार व रजनी पंवार को प्रदत्त अनुसूचित जाति (अगरिया) के प्रमाण पत्र की जाँच/स्कूटनी अलग–अलग स्तरों पर होते हुये मंडल स्तर व राज्य स्तर पर भी हुई तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 02.11.2021 के अनुपालन मे राजेश चौधरी के प्रत्यावेदन पर पुर्न विचार करते हुये अपने आदेश दिनांक 21.12.2021 द्वारा राजेश चौधरी (अध्यक्ष यूथ सोशल इम्प्रूवमेन्ट सोसाईटी) अपील दिनांक 19.02. 2020 व दिनांक 24.11.2021 निरस्त कर दी गयी है तथा उक्त निर्णय अन्तिम हो गया है तथा पंकज पंवार व रजनी पंवार के अनुसूचित जाति (अगरिया) के प्रमाण पत्र बहाल कर दिये गये है तथा आज भी बहाल ही है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एपलीकेशन अन्तर्गत धारा 528 बी०एन०एस०एस० नम्बर 14813 सन 2026 पंकज पंवार आदि व उ०प्र० राज्य आदि मे पंकज पंवार व रजनी पंवार के जाति प्रमाण पत्र बहाल होने की जानकारी होने पर अपने आदेश दिनांक

21.04.2026 के द्वारा मु०अ०सं० 364 सन 2020 मे आरोप पत्र प्रेषित करने के मामले को विचारणीय मामला मानते हुये अभियोग संख्या 56/962 सन 2024, मु0अ0सं0 364 सन 2020 उपरोक्त की कार्यवाही अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। उक्त अभियोग के विवेचना अधिकारी ने अपनी विवेचना सही तरीके से नही की और गलत तरीके से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल पंकज पंवार व रजनी पंवार के विरूद्ध हुई थी प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नही था। उसके उपरान्त तीन वर्ष तक निरीक्षक श्री ख्याली राम आदित्य ने खुली जांच की थी लेकिन उन्होने भी प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध किये जाने का विवरण अपनी जांच मे नही दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक 66 वर्षीय वृद्ध व बीमार व्यक्ति है जो विभिन्न पटलो पर रहकर दिनांक 31.12.2020 को जिला मुख्यालय अलीगढ मे राजस्व सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। अपनी सर्विस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त का जाति प्रमाण पत्र बनाने या उसमे सहयोग करने से कोई सम्बन्ध कभी नही रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त मुख्य अभियुक्त्त पंकज पंवार व रजनी पंवार को नही जानता है न ही उसने उनके जाति प्रमाण पत्र के निर्माण या उसकी फाईल के रखरखाव मे ऐसा कोई कार्य किया है। विवेचनाधिकारी ने अपनी विवेचना सही तरीके से नही की है जबकि प्रार्थी/अभियुक्त ने विवेचनाधिकारी को जॉच मे पूर्ण सहयोग करा था। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है न ही प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व मे सजायाफ्ता है।

4. अभियुक्त अधिवक्ता को प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना।

6. विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध कराते हुए कथन किया कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण अर्गिम जमानत याचिका संख्या 735/2024 में पारित आदेश दिनांकित 09.04.2024 जिसकी प्रति पत्रावली पर संलग्न है, द्वारा आवेदक/अभि० गीरीश कुमार शर्मा को उपरोक्त प्रकरण अन्तर्गत अपराध संख्या 364/2020 अन्त० धारा 409, 420, 468, 471, 201, 102बी भा०दं०सं० व धारा 13(1), 13(2) व 7 भ्र०नि० अधि० 1988 थाना खैर जिला अलीगढ़ के मामले मे 25000 का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के 2 प्रतिभू प्रभारी निरीक्षक की संतुष्टि के अनुसार, पुलिस रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 173(2) दं०प्र०सं० में दाखिल करने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था।

उल्लेखनीय है कि बाद विवेचना सम्बंधित विवेचक द्वारा उपरोक्त प्रकरण में आवेदक/अभि० के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा०दं०सं० व धारा 13(1), 13(2) व 7 भ्र०नि० अधि० 1988 प्रेषित किया गया है। चूकि उपरोक्त प्रकरण में आवेदक/अभि० माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार पूर्व में जमानत पर है। अतः **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा शुशीला अग्रवाल बनाम राज्य AIR 2020 SC 831 व **सुमित बनाम उ०प्र० राज्य** में पारित आदेश के आधार पर आवेदक/अभियुक्त गिरीश कुमार शर्मा को उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त अभियुक्त गिरीश कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री चन्द्रपाल शर्मा की ओर से मु०अ०सं०–364/2020 अन्तर्गत धारा–420, 467, 468, 471, 120B भा०दं०सं० व 7 भ्र०नि० अधिनियम,1988 यथा संशोधित 2018, थाना– खैर, जनपद अलीगढ़ के प्रकरण में अंकन 25,000/– रूपये के दो प्रतिभू व समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर यह

तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त एक सप्ताह के अन्दर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वांछित प्रपत्र दाखिल करेगा। अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन विचारण के दौरान अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है।

अभियुक्त इस आशय की अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करेगा कि वह दौरान विचारण साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा, विचारण के दौरान वह नियमित रूप से न्यायालय मे उपस्थित रहेगा, विचारण में विलंब नहीं करेगा, आरोप बनाये जाने तथा धारा 313 दं०प्र०सं० का बयान अंकित किये जाते समय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा, अपने पते में स्थायी तथा अस्थायी परिवर्तन करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेगा। अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना दौरान विचारण देश छोड़कर नहीं जायेगा। उक्त शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित न्यायालय को अभियक्त की अग्रिम जमानत निरस्त करने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

दिनांकः 19.06.2026

(अजय कुमार– I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम(V.B.U.P.S.E.B.),
मेरठ।

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.06.19 17:24:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Meerut